संख्या–57 /III(3)/2018–01(सी.आर.एफ.)/2012 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 वी0 षणमुगम,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः 16 जनवरी, 2018

विषयः– वर्ष 2016–17 में केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत " जनपद देहरादून में जौलीग्रान्ट– थानों– रायपुर–सहस्त्रधारा मोटर मार्ग " के कि0मी0 12 में निर्माणाधीन 210.00 मी0 लम्बाई के आर0सी0सी0 सेतु तथा जनपद देहरादून में जौलीग्रान्ट– थानों–रायपुर–सहस्त्रधारा मोटर मार्ग " के कि0मी0 16 में निर्माणाधीन 90.00 मी0 लम्बाई के आर0सी0सी0 सेतु के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक – 789/13 सी0आर0एफ0–नि0–2/2017 दिनांक 23.11.2017 तथा पत्रांक 814/13 सी0आर0एफ0–नि0–2/2017 दिनांक 23.11.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016–17 में केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन शा0सं0 432/III(3)/2016 –01(सी0आर0एफ0)/2012 दिनांक 30.7.2016 के माध्यम से निर्गत 12 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अधीन क्रमांक 09 पर अंकित योजना " जनपद देहरादून में जौलीग्रान्ट– थानों– रायपुर– सहस्त्रधारा मोटर मार्ग " के कि0मी0 12 में निर्माणाधीन 210.00 मी0 लम्बाई के आर0सी0सी0 सेतु (भा0स0 द्वारा स्वीकृत लागत रु0 2167.00 लाख/टी0ए0सी0 उपरान्त परीक्षित लागत रु0 1791.72 लाख) तथा क्रमांक 11 पर अंकित योजना " जनपद देहरादून में जौलीग्रान्ट– थानों–रायपुर–सहस्त्रधारा मोटर मार्ग " के कि0मी0 16 में निर्माणाधीन 90.00 मी0 लम्बाई के आर0सी0सी0 सेतु (भा0स0 द्वारा स्वीकृत लागत रु0 1068.00 लाख/ में टी0ए0सी0 उपरान्त परीक्षित लागत रु0 849.07 लाख) सहित समेकित रुप में दो योजनाओं हेतु कुल रु0 2640.79 लाख, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– उक्तानुसार, प्रदत्त स्वीकृति के सापेक्ष प्रश्नगत सेतुओं के State Highway में होने के कारण, सेतु का डिजाईन/पैदल चलने हेतु फुटपाथ सम्मलित करने/प्रश्नगत मोटर मार्ग के पर्यटक क्षेत्र मसूरी एवं राजधानी देहरादून व जौलीग्रान्ट हवाई अड्डा से सम्बन्धित होने के कारण V.I.P. एवं V.V.I.P. आवागमन के साथ ही भविष्य में मार्ग के विस्तार को देखते हुए उक्त सेतु में MORTH के मानकों के अनुरूप सेतुओं का संशोधित वैटेड ड्राइंग एवं डिजाइन कराये जाने आदि, विभिन्न कारणों से लागत में हुई वृद्धि स्वरुप, पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न हो पाने के फलस्वरुप, प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा उपरोक्त क्रमांक–09 हेतु उपलब्ध कराये गये रु0 2167.00 लाख एवं क्रमांक–11 हेतु उपलब्ध कराये गये रु0 1068.00 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि क्रमशः रु0 2159.31 लाख तथा रु0 1064.42 लाख सहित समेकित रुप में उक्त दो योजनाओं हेतु संशोधित कुल रु0 3223.73 लाख (रुपये बत्तीस करोड़ तेईस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

(1) उक्त दो कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश सं0 432/III(3)/2016 –01(सी0आर0एफ0)/2012 दिनांक 30.7.2016 के माध्यम से निर्गत 12 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अधीन क्रमांक 09 पर अंकित योजना हेतु भा0स0 द्वारा स्वीकृत लागत रु0 2167.00/टी0ए0सी0 उपरान्त लागत रु0 1791.72 लाख एवं क्रमांक 11 पर अंकित योजना हेतु भा0स0 द्वारा स्वीकृत लागत रु0 1068.00 तथा वर्तमान में टी0ए0सी0 उपरान्त लागत रु0 849.07 लाख सहित समेकित रुप में दो योजनाओं हेतु भारत सरकार से स्वीकृत कुल रु0 4326.31 लाख (रु0 2167.00+1068.00)

क्रमशः....2/–

एवं पूर्व में समेकित रुप में निर्गत पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति रु0 2640.79 लाख (रु0 1791.72 + 849.07) के सापेक्ष, वर्तमान में टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त समेकित रुप में औचित्यपूर्ण पाई गयी धनराशि रु0 3223.73 लाख (रु0 2159.31+ 1064.42) में से घटाते हुए अतिरिक्त धनराशि रु0 582.94 लाख (रुपये पांच करोड़ बयासी लाख चौरानबे हजार मात्र) में से अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी,। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश दिनांक 30.7.2016 केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

(2) पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(3) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(4) सम्बन्धित कार्य हेतु अनुबंधित संस्थाओं को उनके साथ हुए अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 में भुगतान की निहित शर्तों के अनुसार आवश्यकतानुसार ही कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 तथा शासनादेश सं0 610/3(150) /XXVII(1) /2017, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा साथ ही उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–252/III(3)/2011–901(ए0डी0बी0)/2008 दिनांक 06.06.2011 में उल्लिखित बिन्दुओं/ व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) भारत सरकार द्वारा नियमानुसार स्वीकृत कार्यों पर ही स्वीकृत लागत के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा तथा कार्य पूर्ण करने की समयावृद्वि भारत सरकार को मान्य व्यवस्था अनुसार प्राप्त कर लेने व उसी समयावधि में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) भारत सरकार के दिशा–निर्देशों तथा स्वीकृति विशेष की शर्तो/प्रतिबन्धों की अनुपालना की जायेगी।

(8) व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष तत्काल प्रतिपूर्ति दावा प्रेषित किया जायेगा एवं भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी। पूर्व अवमुक्त राशि के सापेक्ष प्रतिपूर्ति दावा तत्काल प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(9) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.07.2007 एवं अधिसूचना दिनांक 24.07.2014 के अनुसार क्रमशः केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम–2007 व नियम–2014 तथा तदन्तर समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा–निर्देशों, उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आगणन में ली गयी सभी दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है तथा उन दरों को बाजार भाव से अथवा रेट कान्ट्रेक्ट से लिया गया है तो उसकी स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से प्राप्त करनी होगी, उसी के अनुसार आंगणन में दरें अनुमन्य होंगी।

(11) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः...3

(12) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय तथा आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग कर लिया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसके शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग करके उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मदवार व्यय विवरण देने के बाद ही अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान सं0 22 के लेखा शीर्षक–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत व्यय परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0102–केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया कार्य (100%/के0स0) (5054–04–800–01–05 से स्थानान्तरित) 24– वृहत निर्माण कार्य, के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 623/XXVII(2)/2018 दिनांक 11 जनवरी, 2018 से प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(डा0 वी0 षण्मुगम)
अपर सचिव।

संख्याः 57 (1)/III(3)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ब्रिजेज, लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।